

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 529/2016

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

तहसीलदार, पंचपदरा

1. ग्राम पंचायत मूंगडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम संपठित नियम 59, 60, 66, 86
भू-अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक:- 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम संपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम हेमपुरा में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-8/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते/ सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा हेमपुरा के ख0न0 क्रमशः 1122/204 रकबा कमश 4.00 बीघा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्गित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारों को नोटिस जारी कर तलब किया, विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश नहीं किया गया।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात में होने की ताईद की है तथा बताया की संलग्न नक्शों के बिन्दु 'ए' से 'बी' पर मौके पर रास्ता चल रहा है। एवं नक्शों में डोटेट लाईन से दर्शाया हुआ है। पटवारी हल्का मौजा हेमपुरा ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे में 'ए' से 'बी'

भागीरथ राम
कलेक्टर
(3.0.0.) बालोतरा

ख0 न0 क्रमश 1122/204 रकबा क्रमश 4.00 बीघा रास्ता वर्तमान में चालू बताया है तथा इसे स्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्राथीगणों की खातेदारी की भूमि में वर्तमान में रास्ता चल रहा है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा हेमपुरा में अवस्थित ख0 न0 1122/204 रकबा क्रमश 4.00 बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' होते हुए नक्शे में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार (राजस्थान सरकार)के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया।

(भोगीरथ राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
राजस्थान सरकार,
(एसडीओ) बालीतरा